मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 24 / 2024

अश्वनी जाखड़ पुत्र जैन कुमार जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

ब ना म

1. सावित्री देवी पत्नी लालचन्द जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सरोज देवी पत्नी जैन कुमार जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रविना जाखड़ | पुत्रीयां जैन कुमार जाति जाट साकिन 46 एनडीआर
4. शिवानी जाखड़ | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :– 30/06/25

वादी की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

चक 46 एनडीआर के मु. खाता सं. 71/61 के प.नं. 60/339 (21) किला नं. 1/1, 1/2, 10, 11, 12/2, 19 ता 21, 22/2, 23/2, 24/2, 25/1, प.नं. 60/341 (31) किला नं. 16, 17/2 की कुल 2.126 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में मृतक जैन कुमार के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. [illegible] व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने [illegible] मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर [illegible] जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/[illegible] रहेगी जिमसें किसी [illegible] का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30/06/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:08:05 IST
Reason: SelfAttested